[Shri Jaswant Singh]

5 P.M. time. And I would plead with the Defence Minister to bear in mind that a fighting force is only as good as the morale of that force. My esteemed friend, श्री हरी शंकर भाभड़ा जी ने हिन्दी में पूछा है इसलिए मैं उनको हिन्दी में जवाब दूंगा । उन्होंने पूछा कि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद बनने से क्या सैनिक वातावरण नहीं फैल जाएगा और उससे जो हमारे पड़ोसी हैं उसमे क्या इसकी परिणति युद्ध में नहीं हो जाएगी और उससे हमारे पड़ोसी चिन्तित नहीं हो जाएंगे । मैं उन से सादर निवेदन करूंगा कि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अर्थ सैनिक वातावरण फैलाना नहीं है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद से सैनिक वातावरण नहीं फैलेगा । राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद बनाने से हमारे पड़ोसियों को कोई चिन्ता नहीं होनी चाहिये और उसकी परिणति युद्ध में हो रहे तो मैं बिल्कुल विश्वास नही करता ।

I am grateful, Madam Vice-Chairperson, to all the various Members who have participated in this discussion and I do hope we get more opportunities to discuss this matter again.

[Mr. Deputy Chairman in the Chair]

Metaphorically speaking, not otherwise, because I think I have still quite a great deal to do and many miles to go, but my time appears to be over as far as this debate is concerned. I thank all the participants who have contributed to this resolution. I thank more particularly the Treasury Benches and the honourable Defence Minister for his contribution and advice in the matter. It is his suggestion that I withdraw this resolution. It was the honourable Defence Minister's suggestion that as we have had a discussion on it, I withdraw the resolution. I am given to understand that the convention of this House is also that the mover of the resolution, at the end of the debate in Private Members' Resolutions, withrdaws it. I, therefore, withdraw the resolution. Thank you.

**The Resolution was, by leave, withdrawn*

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now we take up the Calling-Attention motion . . .

SHRI ERA SEZHIYAN (Tamil Nadu): Mr. Deputy Chairman, before you take up that item, kindly ask the Minister to make that statement. We wanted him to make a statement on the drought situation and food supplies. He can make it now.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I was told he is not ready with the statement yet. He will make it afterwards.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (SHRI BHAGWAT JHA AZAD): I will do it. It is not ready yet.

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

Reported non-payment of dues to cane-growers by mill owners in different parts of the country particularly in U.P. and Bihar resulting in accumulation of huge arrears and the consequent hardship faced by cane-growers

श्री घन श्याम सिंह (उत्तर प्रदेश) : उपसभापति महोदय, मैं देश के विभिन्न भागों में विशेषकर उत्तर प्रदेश और बिहार

*For the text of the amendment, *vide* Col. . . . *Supra*

में मिल मालिकों द्वारा गन्ना उत्पादकों को देय राशियों का भुगतान न किये जाने के परिणामस्वरूप अदायगी की भारी राशियों के जमा हो जाने के कारण गन्ना उत्पादकों को पेश आ रही कठिनाई के समाचार तथा इस संबंध में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही की ओर खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री का ध्यान दिलाता हूं ।

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद): उपसभापति महोदय, सर्वप्रथम मैं माननीय सदस्यों का इस बात के लिए आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे ऐसे मामले पर वक्तव्य देने का अवसर प्रदान किया है जोकि न केवल इस सदन के बल्कि लोक सभा के भी माननीय सदस्यों के लिए चिन्ता का विषय बना हुआ है । यह बात गन्ने के मूल्य के बकायों के बारे में दोनों सदनों में जितनी भारी संख्या में प्रश्न उठाए गए हैं और जिनका मैंने उत्तर दिया है, उससे भी स्पष्ट होती है ।

वर्ष के पहले तीन महीनों, जबकि पिराई कार्य चरम सीमा पर होता है, में बकायों की राशि में वृद्धि होना कोई असामान्य बात नहीं है । तथापि, जब मौसम समाप्त होने के निकट होता है, तब बकायों की राशि में भी तीव्र गति के साथ कमी होनी शुरू हो जाती है ।

इस वर्ष बकायों की राशि की प्रतिशतता में मामूली वृद्धि का एक कारण यह भी हो सकता है कि पिछले वर्ष गन्ने का रिकार्ड उत्पादन हुआ था और उसके तुरन्त बाद इस वर्ष भी गन्ने की भरपूर फसल हुई है ।

इस संबंध में मैं केन्द्रीय सरकार की भूमिका स्पष्ट करना चाहूंगा । केन्द्रीय सरकार केवल गन्ने का सांविधिक न्यूनतम मूल्य ही निर्धारित करती है । जिन 8 मिलों का प्रबन्ध केन्द्रीय सरकार के अधिकार में है, उनको छोड़कर गन्ने के बकायों का भुगतान करवाने और अन्य संगत मामलों की सीधी जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होती है क्योंकि उनके पास इस प्रकार का भुगतान करवाने के लिए आवश्यक फील्ड संगठन और शक्तियां होती हैं । केन्द्रीय सरकार गन्ने के भुगतान की स्थिति की समय-समय पर समीक्षा करती है और वह बकायों का तुरन्त भुगतान करवाने के लिए राज्य सरकारों को निदेश जारी करती है ।

राज्यों से इस मामले पर आगे कार्यवाई करने के लिए अनुरोध करने के अलावा, केन्द्रीय सरकार ने अतिरिक्त बैंक उधार की व्यवस्था करने और मुक्त बिक्री की निर्मुक्ति की प्रक्रिया के माध्यम से खुले बाजार में चीनी के मूल्यों पर निगरानी रखने के रूप में पग उठाए हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मिलों की पर्याप्त द्रवता बनी रहे जिससे वे गन्ने के मूल्य के बकायों का तुरन्त भुगतान करने में सक्षम हो सकें ।

श्री घन श्याम सिंह: माननीय उपसभापति जी, भारत में गन्ने की फसल मुख्य व्यापारिक फसल मे मानी जाती है । इसके साथ ग्रामीण किसान एवं ग्रामीण मजदूर का संबंध जुड़ा हुआ है। यदि हम देखे कि सन् 78-79 में कुल कितना गन्ना भारत में पैदा होता था तो मालूम पड़ेगा कि 3151 हजार हेक्टेयर भूमि में गन्ना पैदा होता था जिसमें से 1634 हजार हेक्टयर भूमि में केवल उत्तर प्रदेश में पैदा होता था । यदि इन आंकड़ों को 81-82 में देखें तो मालूम पड़ेगा कि 2851 हजार हेक्टेयर भारत के कुल गन्ने के उत्पादन में 1634 हजार हेक्टेयर उत्तर प्रदेश में पैदा होता है । जबकि अन्य प्रदेशों में इसकी मात्रा डेढ़ सौ या पौने दो सौ हजार हेक्टेयर के बीच में आती है । इस तरीके से मैं आपको बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश

[श्री घन श्याम सिंह]

गन्ने के उत्पादन में भारत में प्रमुख स्थान रखता है और लगभग भारत के कुल उत्पादन का 50 से 60 प्रतिशत एरिया गन्ने की खेती का उत्तर प्रदेश में है। यदि हम यह देखें कि देश में गन्ने का उत्पादन कितना होता है तो आपको मालूम पड़ेगा कि महाराष्ट्र में प्रति हेक्टेयर 892.70 क्विंटल होता है, जो 1979-80 के आंकड़े हैं। तामिलनाडु में प्रति हेक्टेयर 1027.56 क्विंटल पैदा होता है जबकि उत्तर प्रदेश में यह 349.82 क्विंटल प्रति हेक्टेयर पैदा होता है। भारत का औसत 400 क्विंटल प्रति हेक्टेयर का है। मेरी इसको बताने की मंशा यह है कि प्रत्येक प्रदेश में गन्ने के उत्पादन की लागत वहां के उत्पादन को देखते हुए अलहदा अलहदा आती है। हम एक बेसिक फारमूला इसका बना लें कि उत्पादन लागत प्रत्येक प्रदेश में एक जैसी होगी, तो यह एक जैसी नहीं है। यह प्रदेश-प्रदेश पर वैरी करती है। कल परसों ही मैं अखबार पढ़ रहा था कि महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री ने बताया कि महाराष्ट्र में गन्ने के उत्पादन करने में 30 रुपए क्विंटल से कम नहीं लगता है। मैं एक छोटा सा किसान हूं। मैं अपने फार्म की स्थिति जानता हूं, खेती की स्थिति जानता हूं, मेरा तो निजी अनुभव है कि खेत के मूल्य पर ब्याज न लगायें या लागत पर ब्याज न लगायें, तब भी मेरे उत्पादन में 25 रुपये प्रति क्विंटल से कम गन्ने का मूल्य नहीं आता है। तो मान्यवर, आज की तारीख में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो गन्ने के भाव उत्तर प्रदेश में निर्धारित किये गये हैं वे 20.50 रुपये हैं, यह उचित प्रतीत नहीं होता है यदि हम भारत सरकार के मूल्य निर्धारित करने के तरीके पर गौर करें तो मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि भारत सरकार ने कृषि मूल्य आयोग का गठन कर रखा है और इसकी सिफारिशों के आधार पर सरकार ने कृषि उपज का मूल्य निर्धारित करने का तरीका अपना रखा है। यदि 81-82 से लेकर अब तक के आंकड़ों पर निगाह डालें तो मैं बताना चाहता हूं कि 1980-81 में धान का मूल्य कृषि मूल्य आयोग ने एक सौ रुपये क्विंटल निर्धारित करने की सिफारिश की थी और भारत सरकार ने 105 रुपये निर्धारित किया उसी वर्ष में। इसी तरीके से 82-83 में आ करके धान की कीमत कृषि मूल्य आयोग ने 122 रुपये करने की सिफारिश की थी और भारत सरकार ने बड़ी कृपापूर्वक 122 रुपये क्विंटल धान का मूल्य रखा। यही हाल गेहूं का है। 81-82 में कृषि मूल्य आयोग ने 117 रुपये क्विंटल की सिफारिश की थी और भारत सरकार ने 117 रुपये मूल्य घोषित किया। 82-83 में कृषि मूल्य आयोग ने गेहूं की कीमत 142 रुपये के लिए सिफारिश की थी और भारत सरकार ने 142 रुपये रखना घोषित किया। लेकिन गन्ने के साथ यह भेदभाव किया गया है जिसकी वजह से आज यह स्थिति पैदा हुई है। कृषि मूल्य आयोग ने 80-81 में गन्ने का मूल्य 13 रुपये घोषित करने की सिफारिश की थी और भारत सरकार ने 13 रुपये का बेसिक न्यूनतम मूल्य घोषित किया था। लेकिन 81-82 में कृषि मूल्य आयोग ने 15 रुपये प्रति क्विंटल की सिफारिश की थी। लेकिन भारत सरकार ने भले ही कास्ट आफ प्रोडक्शन बढ़ गई थी, महंगाई भी हो गई थी, लेकिन गन्ने का मूल्य 13 रु० क्विंटल किया। यहीं से गन्ने की कीमतों के साथ थोड़ा सा भेदभाव होना शुरू हुआ।

इसी तरीके से 1982 में आपके कृषि मूल्य आयोग ने सिफारिश की थी कि गन्ने का मूल्य साढ़े पंद्रह रुपये रखा जाए, जिसको उन्होंने बाइफरकेट कर दिया, साढ़े तेरह रुपये और दो-दो रुपये ट्रांसपोर्ट कास्ट। मैं नहीं जानता

कि वह कैसे किया था, क्या है, लेकिन भारत सरकार ने गन्ने की कीमत तेरह रुपये क्विंटल ही रखी, जो इस वर्ष बढ़ा कर साढ़े तेरह रुपये की है।

तो मैं कृषि मंत्री जी का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि क्या सन् 1980-81 में गन्ने का जो उत्पादन मूल्य था क्या वही आज भी उत्पादन मूल्य है, तीन साल के गुजर जाने के बाद भी, जबकि हमने गेहूं की कीमतों में उस वक्त से साढ़े बाईस प्रतिशत बढ़ा दिये हैं, धान की कीमतें हमने करीब-करीब 22 प्रतिशत बढ़ा दी हैं, तो हमने गन्ने का मूल्य इन तीन सालों में क्यों नहीं बढ़ाया? यह बात देखने की है।

माननीय मंत्री जी, वैसे तो आप ज्यादा अच्छा जानते हैं, मैं ज्यादा नहीं जानता, आपकी केबिनेट इकनामिक सब-कमेटी ने एक निर्णय लिया बताते हैं, जिसमें आपने यह कहा है कि गन्ने की कीमतों को जो बाजार में पहुंच गई हैं, उनको वापिस लाया जाए। मुझे यह भी ज्ञात हुआ है कि आप माननीया प्रधान मंत्री जी को भी बीच में लाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से वह जो चीफ मिनिस्टर्ज की कानफ्रेंस करने जा रही हैं, उसमें वह चीफ मिनिस्टर्ज पर दबाव डालें कि गन्ने की कीमतें वह कम करें। मैं समझता हूं कि यह जो निर्णय आपकी सब-कमेटी ने लिया है, वह न तो उपयुक्त ही है, न वास्तविकता के आधार पर ही है। आप स्वयं ही कास्ट आफ प्रोडक्शन निकाल करके देख लें कि गन्ने के उत्पादन पर कितना मूल्य आता है? क्या वह आप काश्तकारों को दे रहे हैं?

ऐसे वक्त में, आप प्रधान मंत्री जी को जो किसानों की हमेशा से ठीक से परवाह करती हैं, उनकी बातों को सुनती रही हैं, आप उनको समझा कर मूल्य कम करवाने का प्रयास कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि न तो आपका सुझाव अच्छा है और न ही वक्त के अनुसार है। यदि आपने इस तरीके से कीमत कम करवाने की कोशिश की, तो उसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे, ऐसा मेरा अनुमान है।

अब मैं आपका ध्यान आज की जो वास्तविक स्थिति है, उसकी ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। आज आपका सन् 1980-81 तक का बकाया जो मिलों के ऊपर कृषकों का है, भारत में करीब 49.29 करोड़ रुपया है। यदि मैं उत्तर प्रदेश की फिगर्ज बतलाऊं, तो अकेले केवल उत्तर प्रदेश में ही इसमें से 24.41 करोड़ बकाया है, पुराना। यदि इस वर्ष का जो नवम्बर से सीज़न आपने स्टार्ट किया है, इसके आंकड़े अगर आपको बताऊं, तो आंख खुल कर रह जाती है। पूरे भारत में करीब 126.04 करोड़ रुपया बकाया है, जिसमें से 28 फरवरी की अगर उत्तर प्रदेश की फिगर्ज आपको दूं, तो रु० 95.49 करोड़ उत्तर प्रदेश में किसानों का मिलों के ऊपर बकाया है।

मान्यवर, स्थिति ऐसी है कि भारत में जितना बकाया बता रहा हूं, उसका करीब-करीब 90 प्रतिशत आपका उत्तर प्रदेश में बकाया है। उस बकाये की वजह से उत्तर प्रदेश के कृषकों की क्या हालत हो गई है, उसको वही जानता है जिसको दर्द होता है। मैं भी एक कृषक हूं और कृषक असली उसको मानना चाहिए जो खेती की रोटी खाता है, खेती पैदा करके उससे भोजन करता है। हम अपना गन्ना लेकर मिलों को दे आते हैं।

श्री उपसभापति: अब आप सवाल पूछिये।

श्री घन श्याम सिंह: थोड़ा सा मुझे बताने दीजिए । अगर मैं नहीं बोलता हूं तो और लोग सवाल पूछेंगे ।

श्री उपसभापति : प्रश्न पूछिये ।

श्री घन श्याम सिंह : मुझे पूरी बात तो कर लेने दीजिए । अभी तो मैं तीन-चार मिनट ही बोला हूं ।

श्री उपसभापति : नहीं, साहब सात मिनट हो गये हैं ।

श्री घन श्याम सिंह: तो मैं उस स्थिति को बताना चाहता था...

श्री उपसभापति : स्थिति का पता है, आप कृपा करके प्रश्न पूछिये।

श्री घन श्याम सिंह: उत्तर प्रदेश की स्थिति को थोड़ा सा मैं आपको इवेल्यूएट करके बताऊं, जिसमें आपकी अपनी मिलें भी वहा पर चल रही हैं, उत्तर प्रदेश में निजी क्षेत्र में 39 मिलें हैं जिनके ऊपर बकाया आज की तारीख में 46.21 करोड़ रुपया है, यानी जितना उन्होंने गन्ना खरीदा है, उसका 37.37 प्रतिशत उनके ऊपर बकाया है । ऐसे ही जो राज्य चीनी निगम की अठारह फैक्टरीज हैं, उनकी तरफ ध्यान डालें, तो उन पर 49.10 प्रतिशत बकाया है । अधिकृत नियंत्रण में जो फैक्टरियां वहां पर हैं, उनमे 25.17 प्रतिशत बकाया है, शासकीय रिसीवरशिप में जो दस फैक्टरीज हैं, उन पर 46.47 प्रतिशत हैं।

मान्यवर, कोआपरेटिव की जो मिलें हैं, उन पर 61.97 प्रतिशत आज की तारीख में बकाया है, वह रुपया जितना उन्होंने गन्ना खरीदा है । मान्यवर, मैं आपकी तरफ इशारा करके कहना चाहता हूं कि आपकी केन्द्रीय सरकार के नियंत्रण में जो चार-पांच फैक्टरियां उत्तर प्रदेश में चल रही हैं, उनमें 71.97 प्रतिशत बकाया है । उन फैक्टरीज में से किसी तरीके से आपने एक का भुगतान कर दिया है, जिसके कारण 71.97 है, वरना जो फैक्टरीज गन्ना लेने के बाद बकाया में हैं 28 फरवरी तक, उन्होंने एक नया पैसा मूल्य का दिया ही नहीं है । यह आपकी फैक्ट्रीज की हालत है ।

साथ ही एक बात और भाव के सिलसिले में बता देना चाहता हूं । उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछली दफा भाव निश्चित किया था, 20 रुपये 50 पैसे और 21 रुपये 50 पैसे । हमारे उत्तर प्रदेश में प्राइवेट मिलें भी भाव दे रही है, कोआपरेटिव मिलें भाव देने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन, मान्यवर, आप वह भाव कृषकों को नहीं देना चाहते, जो हमारी सरकार ने तय कर रखा है। आपका भाव बेरी करता है 17 रुपये 40 पै० से 18 रुपये 85 पैसे तक । तीन फैक्टरी आपकी 17 रुपये 40 पैसे, एक फैक्टरी 17 रुपये 60 पैसे और एक फैक्टरी 18 रुपये 85 पैसे दे रही है। इस तरह से आप वह भाव भी नहीं दे रहे हैं जो वहां मिल रहा है। दुर्भाग्य से मुझे इसलिये मजबूरी में कहना पड़ रहा है कि मैं उस फैक्टरी के क्षेत्र में गन्ना देता हूं, जिसने 28 फरवरी तक पूरा गन्ना लेने के बाद एक भी नया पैसा अदा नहीं किया । अलीगढ़ में वह फैक्टरी है नवम्बर से 28 फरवरी तक गन्ना लेकर आप एक भी पैसा कृषक को न दें तो कहां से वह मजदूरों को मजदूरी दें । जो उसके यहा कटाई करते हैं । यह समस्या हम लोगो के सामने है । इस कारण किसान के सामने उसकी रोटी की समस्या खड़ी हो गयी है । किसान के सामने उसकी दैनिक आवश्यकता की वस्तुओं को क्रय करने की समस्या खड़ी हो गयी है । किसान के

मानते जो तरहारा देत हैं, जिनको वसूली आप सख्ती से करा रहे हो उनको अदा करने की समस्या खड़ी हो गयी है। यही मत समझिये कि गन्ना उत्पादक ही इससे एफेक्टेड है, वह भी एफेक्टेड हैं, जो ग्रामीण मजदूर हैं, जो रोजाना मजदूरी करते हैं, किसान के पास जाते हैं, पैसा लेने के लिये तो वह कहता है कि आज फैक्टरी ने पैसा नहीं दिया, पैसा कहां से लायें। ऐसी विषम समस्या पैदा हो गई है जिससे ग्रामीण व्यवस्था पूरी चरमरा गई है।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं। आपने बड़े-बड़े अच्छे कानून बना रखे हैं। प्रदेश कानून बनाते हैं, आपकी कनकरेंस से। लेकिन क्या उन कानूनों का पालन होता है। आपने टेगिंग कर रखा है कि जो चीनी मिलें जितनी चीनी बेचेंगी, उसका 80 परसेंट, 85 परसेंट गन्ने के मूल्य की अदायगी में जायेगा। लेकिन यह आप के राज्य में नहीं हो पा रहा है।

साथ ही साथ, आपने एक और प्रावधान कर रखा है कि जो गन्ने का मूल्य बकाया रह जायेगा और 14 दिन के बाद कोई फैक्टरी अदा करती है तो उसको ब्याज सहित पैसा देना होगा। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या आज तक उन्होंने किसी को ब्याज दिलवाया है ? मैंने पिछली दफा 1977 से 1980 के बीच में कोशिश की थी दिलवाने की। मैं आरबीट्रेशन में गया, एक फैक्टरी पर डिग्री भी हो गयी, तीन साल हो गये हैं, मैं चाहता था कि डिग्री का रुपया ही किसानों को दे दिया जाये, लेकिन आज तक उत्तर प्रदेश सरकार वह भी नहीं दिलवा पाई है। यह मैंने आपकी जानकारी के लिये बताया है।

आखिर यह विषम परिस्थिति क्यों आई। जब तक इण्डस्ट्री ठीक से काम कर के पैसा नहीं देगी तब तक इस समस्या का समाधान नहीं होगा। इण्डस्ट्री के सामने समस्या यह है कि हम 65 परसेंट तो लेवी में लेते हैं। हमने एक निश्चित भाव कर रखा है कि इस भाव पर लेंगे। इण्डस्ट्री से कह दिया है कि 65 परसेंट के बाद जो बाकी चीनी बचती है, उसको खुले बाजार में बेचें और जो भाव मिलता है उससे जो लेवी में घाटा होता है, उसको पूरा करें और जो प्राइस गवर्नमेंट ने फिक्स कर रखी है, वह दें। चीनी मिलों का सामर्थ्य नहीं रही है कि वह गन्ना उत्पादकों को एनाउन्स्ड प्राइस दे सकें, आपको लेवी की चीनी दे सकें। आप न तो अपना एक्साइज माफ करना चाहते हैं, न स्टेट गवर्नमेंट सेल्स टैक्स माफ करना चाहती है। जब चीनी मिलें नहीं रहेंगी, तब हम कल कहां से लेंगे? हम चाहेंगे, चीनी मिलें ठीक से चलें, उनको लाभ न हो तो हानि भी नहीं होनी चाहिये। गन्ना उत्पादक को भी कास्ट आफ प्रोडक्शन देना ही होगा। तो मैं माननीय मंत्री जी से...

श्री उपसभापति: आप समाप्त करिये।

श्री घनश्याम सिंह: समाप्त कर रहा हूं। मैं सिर्फ मंत्री जी से तीन-चार सवाल पूछना चाहूंगा।

श्री उपसभापति : सवाल सब हो गये आपके।

श्री घनश्याम सिंह : आपने कृषि उपजों के मूल्य निर्धारित करने हेतु कृषि मूल्य आयोग की सिफारिशों को आधार माना है, तो गन्ने के संबंध में उसकी सिफारिशों को क्यों नहीं माना, यह बताने की कोशिश करें। 1980 में जो भाव 13 रुपये क्विन्टल तय किया था, आज

[श्री घनश्याम सिंह]

भी वह आपने साढ़े 13 रुपये क्विन्टल कर रखा है, इसका क्या औचित्य है, क्या कोई मंहगाई इस बीच में नहीं हुई है? साथ ही गेहूं का भाव जितने परसेंट बढ़ा है, उतना ही गन्ने का बढ़ाने का विचार करें। उत्तर प्रदेश ने गत वर्ष जो भाव था, इस वर्ष भी एनाउन्स किया है, सभी चीनी मिलें, चाहे वे निजि क्षेत्र की हैं, या किसी भी क्षेत्र की हैं, वह भाव दे रही हैं, तो आप भी घोषणा करें कि आपकी जो मिलें आठ काम कर रही हैं, वह भी वही भाव देंगी। काश्तकारों की स्थिति को देखते हुए सबसे ज्यादा बकाया आपकी मिलों का है। आप उसका तुरन्त भुगतान करने का कष्ट करें। आप उनको तुरन्त भुगतान कराने की व्यवस्था करें। उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से गन्ने का मूल्य अदा करने के लिये 20 करोड़ रुपये कर्ज देने के लिये आवेदन कर रखा है। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे वित्त मंत्री से सिफारिश कर के उत्तर प्रदेश सरकार को यह धन दिला दें ताकि वह भुगतान कर सके। मैं मंत्री जी से यह भी आग्रह करूंगा कि गन्ने के उद्योग को बचाने के लिये कुछ प्रभावी कार्यवाही करें ताकि उद्योग भी बचे और उत्पादक को भी बचाया जा सके और कंज्यूमर को भी ठीक दाम पर चीनी मिले।

अंत में मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जब प्रान्तीय सरकार गन्ने के मूल्य पर ब्याज नहीं दिला सकती तो केन्द्रीय सरकार क्या मूक दर्शक बन कर बैठी रहेगी और कोई कार्यवाही नहीं करेगी या फिर यही जवाब दे देगी कि यह राज्यों का सब्जेक्ट है और हम को इस से ही संतोष कर लेना पड़ेगा। हम तो इस से संतोष नहीं कर पाते।

श्री उपसभापति : स्टेट आटोनामी की इतनी बातें हो रही हैं...

श्री घनश्याम सिंह : इसलिये मैं चाहता हूं कि इस बारे में आप कोई प्रभावी कार्यवाही करें और उसको अमल में लायें।

श्री उपसभापति : आप सब लोग सहमत हों तो मंत्री जी सभी बातों का एक साथ जवाब दे देंगे क्योंकि वही बातें बार-बार कही जायेंगी और उनको सुना जायेगा।

श्री रामनरेश कुशवाहा : (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभापति महोदय, मैं बड़ा आभारी हूं भाई घनश्याम सिंह जी का कि उन्होंने बहुत सी बातों को पहले ही कह दिया है। मैं उनको दोहराऊंगा नहीं, लेकिन मैं यह भी कहना चाहूंगा कि यह जो आपने कृषि मूल्य आयोग बनाया है यह किस काम के लिये है क्योंकि इसकी सिफारिशों को कभी माना नहीं जाता। चाहे कम हो या बेशी हो, लेकिन हमेशा राजनीतिक निर्णय लिया जाता है। तो फिर यह सफेद हाथी पाल कर आप क्यों इसको चारा

दे रहे हैं। क्या जरूरत है इसकी ? और अगर कुछ मानते हैं, तो ऐसा जैसा कि उन्होंने कहा गन्ने के मामले में क्यों नहीं मानते हैं ? मूल्य आपने तय किया। कृषि मूल्य आयोग के विपरीत जाकर तय किया। कम दाम तय किया जब कि हर चीज का दाम सवाया और ड्योढ़ा हो गया है तो गन्ने के दाम घटाने का क्या मतलब है ? क्यों गन्ने का दाम घटाया है और अगर आप बड़े उद्योगों को सब्सीडी दे सकते हैं, उनको बचाने के लिये और अन्य उद्योगों को घाटा पूरा कर सकते हैं, तो गन्ने और चीनी जैसे उद्योग को, जिसका किसान से इतना ज्यादा संबंध है, जो किसान की जिन्दगी और मौत के साथ जुड़ा हुआ है, उसको जिन्दा रखने के लिये आप क्यों नहीं कुछ कर रहे हैं। बकायादारी में आपका कोई सानी नहीं है। अभी भाई ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार के आंकड़े यह हैं, मैं उनको दोहराना नहीं चाहूंगा लेकिन सब से बड़े बकायादार आप हैं और आप की केवल 8 मिलें हैं। तो मैं नहीं समझता कि आप का जब 71 परसेंट बकाया है, तो उत्तर प्रदेश सरकार का या प्राइवेट मिल मालिक का कितना बकाया रहना चाहिये। आपके पास सारे साधन हैं, पैसा है, निर्णय लेने की शक्ति है। इतना ही नहीं, 20 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश सरकार अगर कर्ज मांगती है, दाम निपटाने के लिये तो उसको आप नहीं दे रहे हैं। क्यों आप ने उसे लटका रखा है ? अभी बदायूं में मैं गया था। 44 किसान वहां अनशन कर रहे थे। हमने सत्याग्रह किया। उसमें 106 आदमी गिरफ्तार हुए सत्याग्रही। फिर पता नहीं उनका क्या हुआ। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह के आन्दोलन, प्रदर्शन हर जगह चल रहे हैं। आखिर आप क्या चाहते हैं। किसान जब तक आंदोलन नहीं करेगा, जेल नहीं भरेगा या और कोई रास्ता नहीं अपनायेगा तब तक उस के साथ आप क्या न्याय नहीं करेंगे ? एक दिन की तनख्वाह अगर रोक दी जाय या एक महीने की तनख्वाह सरकारी कर्मचारियों की या संसद सदस्यों की रोक दी जाये या मंत्रियो की रोक दी जाय तो पता नहीं क्या क्या बवेला मच जाएगा। किसान 6 महीने और साल भर तक उधारी पर काम करता है और उस के बाद फिर 3 साल और उधार अगर उस का पैसा रखा जाय तो वह जिन्दा कैसे रहेगा ? और सारे उत्तर प्रदेश में अगर चीनी मिलों को दो रुपये 50 पैसे का फैसला हुआ है और स्वीकार कर लिया गया है, तो आप कहें कि हम नहीं कर सकते, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आप की यह 5 मिलें क्यों नहीं दे रही हैं। तो आखिर आप कौन सी व्यवस्था चलाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में 86 मिलें तो 20 रु० 50 पैसे दें और आपकी पांच मिलें 18 रु० 55 पैसे दें, कहीं 17 रु० 60 पैसे दें, कहीं 17 रु० 40 पैसे दें। यह कौन सा न्याय है ? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो बताया है वह 24-41 करोड़ रुपया तो पिछला बकाया है और इस साल का बकाया है 95-49 करोड़ जो कि 28 फरवरी तक का है और आज तक वह 70-75 करोड़ हो गया होगा। तो लगभग दो अरब रुपया उत्तर प्रदेश में बकाया है। बिहार में और दूसरे राज्यों में कितना बकाया है, मैं नहीं कह सकता, लेकिन उत्तर प्रदेश में ही दो अरब रुपया बकाया है। इसके लिए आप क्या करने जा रहे हैं ? एक तरफ किसानों की कुर्की की जा रही है, वसूली वह दे रहा है, उनकी 21 पैसे के लिए कुर्की की जा रही है, उसका सामान

[श्री राम नरेश कुशवाहा]

कुर्क किया जा रहा है, उसको मरने दिया जा रहा है और आप सारा पैसा रखे हुए हैं। गन्ने की पर्ची लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। 20-25 परसेंट कमीशन लेकर किसानों को बन्धक बना रखा है।

इतना ही नहीं, मैंने इस सदन में बार बार कहा था कि उत्तर प्रदेश में बाढ़ और सूखा दोनों हैं। नदी के किनारे बाढ़ है और पेट में सूखा है, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार को एक पैसा भी सूखे के नाम पर आपने नहीं दिया है। सारे उत्तर प्रदेश में सूखे का असर हुआ है। 164 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश ने सहायता के रूप में मांगा, लेकिन आपने उसे एक पैसा भी नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? आपके पास ऐजेन्सी है, आपने जांच क्यों नहीं करवाई कि उत्तर प्रदेश की सरकार कितना सही बोल रही है। इसका असर गन्ने पर भी पड़ता है।

श्री उपसभापति : इसका जवाब वह कैसे देंगे?

श्री राम नरेश कुशवाहा : मान्यवर, सूखे का असर गन्ने पर भी पड़ता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के साथ आप सौतेला व्यवहार क्यों कर रहे हैं? अगर आप उत्तर प्रदेश की सरकार की मदद करते तो वह गन्ने के दाम किसानों को देती। आपने उत्तर प्रदेश की सरकार को मजबूर किया है कि वह सारा झंझट अपने सिर पर डाले और आप यहां पर मौज करें।

श्रीमन्, गन्ने के बारे में मैंने स्पेशल मेंशन में भी बताया था कि आपने वहां पर सीमा बांध दी है, कि उत्तर प्रदेश सरकार ने सीमा बांध दी है, रिजर्वेशन कर दिया है कि फलां क्षेत्र का गन्ना फलां मिल में ही बेचा जाएगा।

श्री उपसभापति : यह तो उत्तर प्रदेश सरकार करती है... (व्यवधान)

श्री राम नरेश कुशवाहा : उत्तर प्रदेश सरकार नहीं सुनती है, आप नहीं सुनते हैं तो कौन सुनेगा। आप हटाइये उस सरकार को अगर वह नहीं सुनती है तो। यह उत्तर प्रदेश का मामला है, इसको कहना ही पड़ेगा। वह कहती है कि हम कोई जिम्मेदारी नहीं लेते हैं तो आप क्यों नहीं जिम्मेदारी लेते हैं? आप उत्तर प्रदेश की सरकार को मजबूर कीजिए कि तुमने सीमा बाध रखी है तो जिस मिल में गन्ना जाएगा उस मिल को सारा का सारा गन्ना पेरना पड़ेगा। उसका सारा नुकसान जो होगा उसको पूरा करने की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार ले या आप लें, जो भी लें, किसान को नुकसान नहीं होना चाहिए।

अन्त में मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी भुगतान करवाने की कोशिश कीजिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो कर्जा मांगा है वह उसको दीजिए और जो सूखे के लिए उसने सहायता मांगी है वह देने का प्रबंध कीजिए और अधिक से अधिक सहायता करके भुगतान कराइये और गन्ना पेरने का इंतजाम करवाइये वरना बहुत झंझट मच जाएगा। मैं समझता हूं कि हमारी इस राय से मंत्री जी भी सहमत होंगे क्योंकि उनके भी इलाके में गन्ना होता होगा।

डा० महावीर प्रसाद (बिहार) : महोदय, मैं बिना किसी भूमिका के दो-तीन बातों की तरफ सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। मैं कह रहा था कि खेती आज लाभकर नहीं हो रही है और लोग खेती पर से हटते जा रहे हैं।

जबकि यह देश कृषि प्रधान देश है । लेकिन जो लोग भी खेती पर लगे हुए हैं अगर उन्हें पूरा लाभ नहीं मिलता या जितना भी लाभ उन्हें मिलना चाहिये वह भी नहीं मिले तो खेती करने का कोई मतलब नहीं होता । अभी गन्ने के बारे में मैं जिक्र करना चाहूंगा । मंत्री जी ने बताया कि भारतीय सरकार का काम सिर्फ मूल्य तय करना है बाकी काम राज्य सरकारों का है । मूल्य भारत सरकार ने तय किये 13 रुपये प्रति क्विंटल जबकि इसके लिये इन्होंने जो कृषि मूल्य आयोग बैठाया उसकी सिफारिश भी इन्होंने नहीं मानी । अभी मैं बताना चाहता हूं कि कानपुर के चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रोद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष 1981-82 के आंकलन के अनुसार एक क्विंटल गन्ने का शुद्ध लागत मूल्य 29.6 रु० और जमीन का किराया सूद आदि मिला देने पर 32.48 रु० प्रति क्विंटल आता है । जब एक क्विंटल के दाम इतने आते हैं खेती करने पर लेकिन उससे बहुत कम कृषि मूल्य आयोग ने सिफारिश की कि 15.50 रुपया प्रति क्विंटल दिया जाए तो सरकार ने उस को भी न मान कर सिर्फ 13 रुपये प्रति क्विंटल रखा । तो क्या केन्द्रीय सरकार के जिम्मे जो काम है उसने उस भावना का ध्यान रखा ? क्या उस स्थिति का जायजा लिया जिसके अनुसार कृषि प्रधान देश में कृषि में लगे लोगों को लाभ हो सके ?

दूसरी तरफ म यह कहना चाहता हूं कि क्या कारण है 1980-81 मे प्रति क्विंटल गन्ने का दाम जो 22 रुपये था वह घट कर 1981-82 में 21 रुपये रह गया और फिर उससे भी घट कर 82-83 में उससे भी नीचे चला गया । एक तरफ जहां गन्ने का मूल्य किसानों को मिलना चाहिये वह प्रतिवर्ष घटता चला जा रहा है और दूसरी तरफ चीनी की कीमत बढ़ती जा रही है । किसानों को दाम कम मिलता जा रहा है, चीनी की कीमत बढ़ती चली जा रही है यह विरोधाभास मेरी समझ में नहीं आता इसलिये सरकार को इस पर विचार करना चाहिये ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि और आप लोगों से आग्रह भी करते हैं कि देश का उत्पादन बढ़ायें । देश का उत्पादन बढ़ाने के क्रम में मैं आपको बताना चाहता हूं कि गन्ने का उत्पादन बढ़ा है । इस हद तक बढ़ा है कि 1980-81 में 51 लाख टन था तो 1981-82 में वह बढ़ कर 84 लाख टन हो गया और 1982-83 में इससे भी ज्यादा टन बढ़ गया । एक तरफ गन्ने का उत्पादन बढ़ा है और दूसरी तरफ आप गन्ने की कीमत प्रतिवर्ष कम करते चले जा रहे हैं और तीसरी तरफ चीनी की कीमत बढ़ती चली जा रही है । इसका लाभ किस को होता है ? किसान को घाटा, खरीदने वाले को घाटा तो मुनाफा किस को ? मुनाफा है सिर्फ बिचोलिये को । जो उद्योगपति होता है उसको मुनाफा होता है । मैं यह कहना चाहता हूं कि कहीं न कहीं सांठगांठ है । सांठगांठ न हो तो जो मिल मालिक हैं उनको क्यों लाभ पहुंच जाता है ? ऐसे मिल मालिक को लाभ पहुंचता है जो किसानों का बकाया रखता है । मैं बिरला का नाम लेना चाहता हूं । वह मिल मालिक भी है और कई चीनी मिलों का भी मालिक है । एक तरफ जो चीनी मिल मालिक किसानों को तबाह करने में लगे हुए हैं उसको आप रिजर्व बैंक में डायरेक्टर के पद पर नियुक्त करते हैं, उसको तरजीह देते है, उसको बढ़ावा देते हैं वह किसानों को लूट सकने में सक्षम या समर्थ हो पाता है कहीं न कहीं

[डा० महावीर प्रसाद]

आपकी सहायता से हो। दूसरी तरफ मैं यह कहना चाहता हूं कि इंडियन चेम्बर आफ कामर्स के चेयरपेन अशोक जैन ने भी स्वयं स्वीकार किया कि 60 करोड़ से अधिक रुपया किसानों का बकाया है। अगर इस वर्ष बकाए रुपये को जोड़ दिया जाए तो 220 करोड़ रुपये से भी ज्यादा हो जाता है जो किसानों का बकाया है। किसानों का रुपया जो मिल मालिकों पर बकाया है वह उनको अभी तक नहीं मिला है। नियम यह भी है कि अगर 15 दिन तक किसानों को मिल मालिकों द्वारा गन्ने की रकम का भुगतान नहीं होता तो उनको उसका सूद भी मिलना चाहिये। आप सूद किसानों को नहीं देते। लेकिन वह रुपया जो किसानों पर बकाया है उस पर सूद आप उनसे वसूल करते हैं। जबरन करते हैं या जैसे भी करते हैं। आप किसानों से सूद वसूल करते हैं पर आप मिल मालिकों पर जोर नहीं डालते कि वह किसानों का पैसा वापस कर दे। लेकिन किसानों को नियमों के अनुसार जो रुपया मिलना चाहिए, जो सूद मिलना चाहिए, वह नहीं मिल रहा है। महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि आप जानते हैं कि बिहार राज्य को बिहार सरकार ने अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित कर दिया है, सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित करना चाहिए था। म इस वक्त उसका जिक्र नहीं करना चाहता हूं। म भी बिहार से आता हूं और मंत्री महोदय भी बिहार से आते हैं। उस राज्य में सूखे के कारण क्या स्थिति उत्पन्न हो गई है, उसको आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि यहां पर शीघ्र राहत दी जाय। अगर आप किसानों को उनका बकाया नहीं देंगे, उनको राहत नहीं पहुंचाएंगे तो किसानजिये तो कैसे जिये ? इसलिए मेरा यह निवेदन है कि सरकार मिल-मालिकों से किसानों को उनके बकाया का पैसा शीघ्र दिलवाये। अभावग्रस्त और सूखाग्रस्त स्थिति में किसान कैसे जिये ? एक तरफ तो सूखे की स्थिति है और दूसरी तरफ मिल-मालिकों से उनको रुपया नहीं दिया जाता है। इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि निश्चित तौर पर केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार पर दबाव डाले और मिल-मालिकों से कहे कि वे ऐसी व्यवस्था करें जिससे किसानों को उसकी बकाया राशि शीघ्र मिल जाये।

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि तीन चार साल पहले बिहार सरकार ने मिलों को टेक-ओवर की थी। मैं इसका जिक्र नहीं करना चाहता था, लेकिन आपने जिक्र कर दिया, इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि आपने इजाजत नहीं दी जिससे कि इन मिलों को टेक-ओवर किया जा सकता। मिल-मालिकों पर कोई दिक्कत आती है तो आप उनको फौरन मदद पहुंचाने पहुंच जाते हैं, उनको बचाने लगते है। मिल-मालिकों को जब घाटा हो जाता है तो बैंकों से उनको रुपया दिया जाता है। सरकार उनके लिए व्यवस्था करती है। लेकिन किसानों को जब दिक्कत आती है तो उनकी मदद नहीं की जाती है उनकी बकाया राशि नहीं दी जाती है। मैं इस संबंध में कुछ मिलों का नाम लेना चाहूंगा। बिहार में सकरी, रैयाम और लोहटा मिलें हैं जिन्होंने किसानों का काफी बकाया रुपया नहीं दिया है। एक तरफ तो किसानों को उनकी रकम नहीं मिलती है और दूसरी तरफ जो छोटे किसान होते है, कमजोर किसान होते हैं उनका ईख समय पर नहीं खरीदा जाता है। कई बार किसानों को दो रुपया और तीन रुपया में ईख बेचना पड़ता है। किसानों की ईख समय पर नहीं खरीदने के कारण उनको बहुत घाटा होता है। अप्रैल से

लेकर अगस्त तक गर्मी पड़ने के कारण किसानों का ईख सूख जाता है और उससे उतना रस नहीं निकलता जितना निकलना चाहिए इस से किसानों को घाटा होत है। इसलिए मेरा आग्रह है कि कोई न कोई व्यवस्था निश्चित तौर पर होनी चाहिए जिससे किसानों का ईख समय पर खरीद लिया जाये और उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो।

श्री उपसभापति : इन प्रश्नों का मंत्री महोदय क्या जवाब देंगे ? आप विषय पर बोलिये और जल्दी समाप्त कीजिए ।

डा० महावीर प्रसाद : मैं यह कहना चाहता हूं कि किसानों की जो बकाया राशि है उसको शीघ्र उनको दिलवाया जाये। गांवों में जो अभाव और सूखे की स्थिति पैदा हो गई है और जो भूखमरी की स्थिति पैदा हो गई है उससे किसानों को बचाया जाये। इस संबंध में किसानों को जो भी राहत पहुंचाई जा सकती है वह शीघ्र पहुंचाई जाये । इन शब्दों के साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि आप अपनी ऐसी नीति बनाइये जो किसानों के हक में हो और मिल मालिकों के हक में न हो। अभी हालत यह है कि ज्यादातर मिल मालिको को ही लाभ पहुंचता है। किसान इस देश की रीढ़ है। देश का आर्थिक ढांचा किसानों की खुशहाली से ही सुरक्षित रह सकता है। मिल मालिकों के हित में बनाई जाने वाली नीति से कोई लाभ होने वाला नहीं है। इन शब्दों के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सूरज प्रसाद (बिहार) : श्रीमन् सरकार ने जो जवाब दिया है उसमें उसने यह कहा है कि गन्ने की बाकी कीमत रहने का प्रधान कारण यह है कि गत वर्ष और इस वर्ष भी गन्ने का रिकार्ड उत्पादन हुआ और इसलिये गत तीन माह के दरमियान जो पिराई हुई है उसका अधिकतर पैसा किसानों का बाकी है। श्रीमन् जैसा कि आप जानते हैं गत साल किसानों का 5 सौ करोड़ रुपया बाकी था, मिल मालिको के पास । उत्तर बिहार में ही 2 करोड़ रुपये गन्ने की कीमत बाकी थी, अभी कुछ घटा है। लेकिन फिर भी अभी भी गत साल की कहीं कहीं कीमत किसानों की मिल मालिकों के ऊपर है। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि इस साल क या गत साल की जो कीमत गन्ने की मिल मालिकों के पास है क्या सरकार उनका अविलम्ब भुगतान करायेगी ?

दूसरी बात जो बाकी कीमत होती है उस पर 14 दिन के बाद, 15 दिन के बाद किसानों को सूद का भुगतान करना पड़ता है, मिल मालिको द्वारा और जिला मजिस्ट्रेट इसके लिये जिम्मेदार बनाया गया है। जहां तक मुझे जानकारी है वह यह है कि इसके लिये व्यक्तिगत रूप से किसानों को जिला मजिस्ट्रेट के यहां आवेदन देना पड़ता है और इस कारण यह मामला बहुत ही पेचीदा हो जाता है। हर किसान जिला मजिस्ट्रेट के यहां आवेदन पत्र देगा अन्यथा किसान को सूद का भुगतान नहीं होता। इसलिए मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि 1978 में सरकार ने शुगर केन कन्ट्रोल आर्डर का जो अमेंडमेन्ट किया था उसमें कोई ऐसा अमेंडमेट सरकार करेगी ताकि किसानों को जिला मजिस्ट्रेट, स्वयं, स्वत: अपने आप सोवा मोटों किसानों को सूद दिलवा सके ?

तीसरी बात मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि सरकार ने गन्ने की कीमत तय की 13 रुपये प्रति क्विंटल और राज्य सरकारों को इस बात के लिये छोड़ दिया कि वे गन्ने की कीमत स्वयं अपने राज्यों में तय करें। इसके अनुरूप यू० पी० की सरकार ने गन्ने की

[श्री सूरज प्रसाद]

कीमत तय की और इसी के अनुरूप बिहार की सरकार ने गन्ने की कीमत तय की । बिहार सरकार ने 20.50 पैसा और यू० पी० सरकार ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में 20.50 पैसा और पश्चिम उत्तर प्रदेश मे 21.50 पैसा मूल्य निर्धारित किया। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि जब सरकार की यह घोषणा हो गई तो बिहार की जो मिलें हैं वे मिलें किसानों को 14 रुपये से 18 रुपये गन्ने की कीमत का क्यों भुगतान कर रही हैं? बिहार की सरकार क्यों चुप्पी साधे बैठी है? सरकार ने अपने बयान में कहा है कि गन्ने की कीमतों का भुगतान राज्य सरकारें अगर नहीं कराती तो केन्द्रीय सरकार उनको डाइरेक्शन देती है। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्रीय सरकार बिहार सरकार को इस बात का डाइरेक्शन देगी कि बिहार की जो मिलें हैं जो किसानों को 14 रुपये से 18 रुपये प्रति क्विंटल गन्ने की कीमत भुगतान कर रही हैं, उन्हें 20.50 रुपये प्रति क्विंटल जो राज्य सरकार ने निर्धारित की है वह कीमत सरकार उनको दिलायेगी ?

दूसरी बात जो मैं इस सम्बन्ध में सरकार से कहना चाहता हूं कि यहां कृषि मंत्री राव बीरेन्द्र सिंह ने कहा था कि हमने तो 13 रुपये तय किये हैं, राज्य सरकारों को दाम तय करना है और जो दाम राज्य सरकारें तय करेंगी वह मिल मालिकों को भुगतान करना है। उनके इस डाइरेक्शन का, उनके इस कथन का भी उल्लघंन, घनघोर उल्लघंन बिहार और उत्तर प्रदेश में हो रहा है। इसलिये सरकार को इस संबंध में क्या कहना है यह मैं जानना चाहता हूं।

चौथी बात जो मुझे इस सम्बन्ध में कहनी है वह यह है कि 1979-80 में सरकार ने शुगर केन का मिनिमम भाव 12.50 रुपये प्रति क्विंटल तय किया था और उस समय लेवी शुगर का दाम 2 रुपये 15 पैसे तय किया था। अब शुगर, लेवी शुगर के दाम 3 रुपये 75 पैसे हैं और गन्ने की कीमत 13 रुपये है। सरकार जानती है कि लेवी शुगर की बुनियाद पर ही, लेवी शुगर के उपयोग की बुनियाद पर ही गन्ने की कीमत तय होती है। अगर लेवी शुगर के दाम 3.75 रुपये हुआ जो उस वक्त से 1 रुपये से भी ज्यादा है तो ऐसी अवस्था में गन्ने की कीमत महज 12.50 रुपये, 13 रुपये तय करने का क्या औचित्य है। जब कि आपने मिल मालिकों को इतना अधिक लाभ दे दिया है लेवी शुगर में तो आपने किसान के गन्ने की कीमत क्यों नहीं बढ़ाई। जब इन्होंने स्वयं खाद्य वस्तुओं की कीमत 60 प्रतिशत बढ़ा दी हैं, उत्पादन की तमाम कास्ट में वृद्धि हो गई है ऐसी अवस्था में गन्ने की कम कीमत का भुगतान करना क्या किसान विरोधी कार्य नहीं है और सरकार की यह नीति मिल मालिक-पक्षी नहीं है? मैं सरकार से यह कहना चाहता हूं कि बिहार के अन्दर किसान की एक दूसरी लूट है और वह लूट है पुरजी की बिक्री, किसान मिल से पुरजी हासिल करता है और पुरजी हासिल करने के बाद या तो बैलगाड़ी पर या ट्रैक्टर पर या ट्रक पर गन्ना लाद कर ले जाता है। उस पुरजी को हासिल करने में किसानों को 10 रुपये से 60 रुपये तक का भुगतान करना पड़ता है। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या बिहार के अन्दर कोई कानून है या नहीं? अगर यह बात सही है तो सरकार पुरजी की बिक्री में जो गलत रुपया किसानों से एक्सट्रक्ट कर

रही है उसको बन्द करने के लिए सरकार क्या कदम उठायेगी ?

गत साल गन्ने की पेराई का जहां तक प्रश्न है, 10 प्रतिशत किसानों का गन्ना खेत में खड़ा रह गया और किसान का गन्ना सूख गया। इस साल बिहार के अन्दर नवम्बर मास के स्थान पर जनवरी में चीनी मिलें खुली हैं। तो मैं सरकार से यह कहना चाहता हूं कि मिलें अधिक दिनों तक देर से खुले इस साल भी गन्ना बिना पेराई के बिना क्रशिंग के खत में खड़ा रह जाएगा। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि इस तरह से किसानों को बहुत अधिक घाटा उठाना पड़ेगा, एसी अवस्था में क्या सरकार मिलों को लम्बे अरसे तक खुला रखने के लिए बाध्य करेगी ताकि किसानों के तमाम गन्ने को पेरा जा सके।

अन्त मे मैं यह निवदन करना चाहता हूं कि आखिर सरकार की नीति क्या है। एक साल गन्ने की कीमत साढ़े बाईस रुपये प्रति क्विटल निश्चित हुई यू० पी० और बिहार के अन्दर। इस साल सरकार ने गन्ने की कीमत घटा कर साढ़ बीस रुपये कर दी है। उपसभापति महोदय, आप जानते हैं 1978 में गन्ने का दाम घटाया गया था इसका असर यह हुआ कि गन्ने का उत्पादन देश के अन्दर कम हो गया और चीनी बाजार के अन्दर 16 रुपये, 18 रुपये और 20 रुपये प्रति किलो तक बिकी थी। मैं सरकार से जानना चाहूंगा कि इस उत्पादन वर्ष में प्रोडक्टीविटी ईयर में सरकार की क्या नीति होने जा रही है ? क्या सरकार की नीति किसानों को दण्डित करने की है या किसान को अधिक उत्पादन के लिए वरदान देने की है ? सरकार क्या चाहती है ? इसलिए मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि गन्ने की जो कीमत राज्यों में निर्धारित की गई उनके भुगतान करने की दिशा में सरकार की तरफ से क्या किया जा रहा है ?

SHRI DIPEN GHOSH (West Bengal): Mr. Deputy Chairman Sir, I want to put three questions only. In the last part of the statement, the hon. Minister has stated:

> "The Central Government has taken steps in the form of provision of additional bank credit and monitoring sugar prices in the open market through the free-sale release mechanism to see that the liquidity of the mills is maintained sufficiently to enable them to clear the cane price arrears quickly."

It indicates that the dual price mechanism that the Centre is following in the matter of sugar is in order to enable the sugar mill-owners to achieve adequate liquidity so that they can pay the cane-growers. Yet not only from the speeches made here but also from the statement of the Minister it is clear that the sugar mill-owners are not paying the price of the cane purchased from the cane-growers in time. So naturally one can conclude from this that though the Government has been following the dual price policy in order to enable the sugar mill-owners to achieve adequate liquidity to pay the cane-growers, actually these sugar mill-owners are diverting this money to other ends and amassing super-profits while fleecing the buyers of sugar as well as denying the dues to the cane-growers. So my basic question is this. In view of this experience that despite the dual price policy the sugar mill-owners are diverting this fund towards other ends instead of paying to the cane-growers, is the Centre considering withdrawal of the dual price policy for sugar? Because, it is very clear from this statement that despite this dual price policy, the sugar mill-owners are still denying the cane-growers payment in time. The second question is, it has been admitted, in

[Shri Dipen Ghosh]

the statement itself that there is some delay in the payment of prices to cane-growers. May I know from the Government what is the normal period of delay and whether there are still arrears beyond this normal period of delay and, if so, what steps the Centre has been taking to obviate such delay? My third question is—though some Members also have stated it—there is a system of paying interest to the cane-growers if there is delay in payment. Yet, it is our experience that neither the price is paid nor the interest. Therefore, will the Government consider setting up of any mechanism to compensate the delay by paying interest? My fourth and last question—it is not directly connected with it but, however, it is connected with the word "sugar"—which I am placing before the Minister, taking advantage of his presence is this. You know I hail from West Bengal and, as regards sugar, it is a deficit State and the entire requirement of sugar is not met by the Centre. Whatever they want, they are given only 50 per cent or so. Will the Minister take care to see that the entire requirements of the State of West Bengal is given?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I think this part of your statement is not correct. You can take any amount of sugar.

श्री लाखन सिंह (उत्तर प्रदेश): मैं उन बातों की ओर नहीं जाऊंगा जो अब तक माननीय सदस्यों के कही हैं...

श्री उपसभापति: बहुत प्रश्न पूछे हैं, दोहराइये नहीं, दोहराने मे फायदा नहीं है।

श्री लाखन सिंह: मैं गन्ने की समस्या के दूसरे पहलू पर जाना चाहता हूं जो बहुत ही भयंकर है और वह यह है कि अभी तक बिहार और उत्तर प्रदेश में 15.20 परसेंट से अधिक गन्ने की पेराई नहीं हुई है। तो मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं आपके माध्यम से कि क्या सरकार शेष गन्ने का सर्वे कराएगी उत्तर प्रदेश और बिहार में और जब तक गन्ना नहीं पेरा जायेगा तब तक मिल मालिकों को आदेश देगी कि वे गन्ने की पूरी पेराई करें। जो शेष गन्ना रह जायेगा किसानों का, क्या उसके लिए आप स्टेट गवर्नमेंट को मैसेज देंगे कि उसका मुआवजा दिया जाए।

मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं कि कुछ मिल इतनी अच्छी हैं जैसे नैनीताल की किच्छा शुगर मिल है, सहकारी क्षेत्र में चलती है, सबसे देर में शुरू हुई थी और आज भी फुल कैपेसिटी में काम नहीं कर रही है तथा किच्छा के आस-पास के क्षेत्र का साढ़े चार लाख क्विंटल गन्ना बाजपुर क्षेत्र सहकारी चीनी मिल के लिए डाइवर्ट कर दिया गया है, जहां गन्ना पहले से बहुत है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि इस प्रकार की कितनी मिल देश के अन्दर हैं कितनी हैं जिन्होंने देर से काम शुरू किया है और काम कर रही हैं लेकिन उनमें पूरी क्षमता से काम नहीं हो रहा है? इसलिए भी किसानों के लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गयी है।

तीसरी बात, यह है कि कृषि मूल्य निर्धारण आयोग में देश के किसानो का विश्वास हट चुका है तो इस अविश्वास के कारण क्या मंत्री महोदय इस आयोग को भंग करेंगे?

चौथी बात मैं कहना चाहता हूं कि एक ओर तो किसान ऋणों के कारण मारा जा रहा है, खत में गन्ना खड़ा है, उसको पिछली रकम नहीं मिल रही है तो दूसरी ओर उसके पास कुर्की और वारण्ट आ रहे हैं। बैंकों और अन्य ऋण एजेंसियों का ऋण तथा ब्याज

चुकाना है, इसलिए उसकी बसूलियां आ रही हैं । तो मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जब तक किसानों को पूरे गन्ने का बकाया अदा न हो जाए, तब तक के लिए राजस्व के, बैंकों के तथा अन्य सहकारी कृषि समितियों की वसूली को रोकेंगे कि नहीं ?

पांचवीं बात, आप नियम बनाते हैं और टाल देते हैं कि राज्य सरकारों का जिम्मा है । तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि नियम आप बनायगे और उसका क्रियान्वयन राज्य सरकारें करेंगी और आप अपनी जिम्मेदारी से हटना क्यों चाहते हैं ? मैं कहना चाहता हूं कि आप अपनी जिम्मेदारी से न हटें । प्रदेश सरकारों से सारे जो नियम-कानून आपने बनाये हैं, उसको लागू करने के लिए आप पहल करेंगे या नहीं ?

इन पांचों बातों का आप स्पष्टीकरण दीजिए ।

SHRI A. G. KULKARNI (Maharashtra): Sir, at the outset, I thank you for giving me a chance to ask some clarifications. I have to submit to my hon. colleagues who were asking for a better sugarcane price: One has to be a little bit rational. Sugarcane price phenomenon is dependent on the success of the industry. Sir, I represent the co-operative sector; I do not represent the private sector. But I do believe that the sugarcane growers who are the members of co-operatives are the partners in this endeavour. Sir, the hon. Members asking for a better sugarcane price, for dues etc., is quite justified. But it seems to me that we are loosing the rationale here and allowing the Government to adopt an *ad hoc* policy on sugar. Sugar is sweet, but the entire ad hocism in the Government has created the problem and given it a bitter taste. Sir, I know that you will perhaps ask me to ask questions only. I do not want to go into theory etc. everybody has said whatever he wanted to. I think there is talk at present that perhaps by the end of 1982-83 production will be of the order of 33 lakh tonnes and the total cost envisaged will be something like Rs. 1700 crores, a fantastic figure, and it is beyond the means of the sugarcane co-operatives or even the private sector to cope with this task. Sir, I want the Minister to confirm whether an Expert Group headed by the Union Finance Secretary is now undertaking a fresh review and whether the report has been received. Sir, it is also true that the Prime Minister has been approached by the sugarcane growers as well as sugar factory owners—when I say 'sugar factory owners', I mean both the sectors—for review of the sugarcane policy, particularly in regard to the increase in price of levy sugar. Sir, I say this because, at present. What ever you may say, we are giving about 300 pounds of nitrogen to sugarcane otherwise the crop cannot yield this much. See the plight of UP, eastern UP, or Bihar, or even Haryana. Their yield is too low. But on our side we use 300 pounds of nitrogen as nutrient for the sugarcane. And that is the basic reason why prices of sugarcane are unremunerative at present; and that is why the sugar price is also unremunerative. This morning also we were discussing this point. I would request the hon. Minister one thing. If you really want to see that increased production is sustained in this country, it cannot be done unless the input prices are brought down. It is what you call a cosmetic business. If I suggest to you that the sugarcane price should be raised, because some friend of mine just now said that you increase the levy price, so increase the sugarcane price, these mills will go into liquidation along with the Government because there will be nothing remaining for the sugarcane growers. Though the Minister is the Minister of Food, he has to apply his mind to a total perspective of the sugar policy; and in that sugar policy the input prices

[Shri A. G Kulkarni]

have done greater damage to the present position of the sugarcane growers as well as sugar factories. So, in this connection I want to know whether any study has been made by these two committees, one appointed under the chairmanship of the Secretary (Finance) and the other appointed by the Reserve Bank of India itself, for financing the sugar buffer stock and whether they have given any suggestion on this matter.

Sir, as the Minister is quite aware, at present the *ad valorem* excise duty works out to something about Rs. 50 plus Rs. 16 and Rs. 14, that is, Rs. 30 The total incidence of the Government duties, the State as well as the Central comes to Rs. 85. And there is scope to reduce this. Otherwise, this present crisis cannot be resolved. I. Sir, enjoin on the Minister of Food that it is a crisis. As my friends have rightly stated, there are some bowels of extra sugar production and there are some bowels of deficiency. And whenever the deficiency is there, the sugar price rise to Rs. 16 per kilogram. Sugarcane at present is being sold at 29 paise per kilogram. Is it a price? Even tomatoes are sold at Rs. 6 to Rs. 8 per kilogram. Even mother earth is not available for 20 naye paise. You have to pay something more.

SHRI N. P. CHENGALRAYA NAIDU (Andhra Pradesh): The firewood is sold at Rs. 7/-.

SHRI A. G. KULKARNI: I am not going to burn anything. I have to produce more.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Do not listen to him.

SHRI A. G. KULKARNI: If this is the position, how are you going to have a rational sugar policy? For that purpose the excise duty and the cess, you have to reduce, Mr. Minister. Whatever you hear do not throw in the lap of Mr. Mukherjee. Do not say, "I will request him to do this and that." Be rational. We are in a crisis, Mr. Azad. Let me bring it to your notice. You are handling it. You know it better than I know. So, the *ad valoram* pricing system has to be done away with. And whatever you may do, unless you reduce the excise duty, it will not help. Otherwise, the levy price will have to be increased again. My friend, Mr. Suraj Prasad, and all other friends will ask for an increase in the price of sugarcane. This is a vicious circle. The President of the national co-operative organisation has demanded a rise of 25 paise per kilogram of sugar.

The last point I want to know is this. The massive buffer stock operation, you have done. The Government agreed for the buffer stock. I fought for it here for the last 17 years, that the buffer stock should be there. But what have you done? In Marathi there is a saying that a person killed a serpent through his guest who had come to his house. The serpent was killed by a guest who had come to his house. So, the host has not done anything. Similarly, who finances the buffer stock? Do you finance it? Have you given a single farthing? We are paying the interest for the buffer stock at 19 per cent. Now it has been reduced to 16 per cent or something like that. So, at least will you pay for the buffer stock? We will stock. There is no stocking arrangement. You take it and keep it in your ware houses. We do not mind. Unless the buffer stock is financed by the Government, that much pressure of about Rs. 1,700 crores will not be reduced, and unless this burden is reduced, the sugar-cane price cannot be increased.

And the last point I want to mention, Mr. Minister, is this. There is a little bit irrationality—I do not want to say politics or anything—in releasing sugar every month. Whenever these festival seasons are there. you release more. That one can understand. But whatever you may, the average price realised by a cooperative

sugar factory has gone to such a low level that we connot even pay Rs. 200 per tonne of sugarcane received from our members.

So I draw your attention to these points.

श्री भागवत झा आजाद : माननीय उपसभापति महोदय, माननीय सदस्यों ने चीनी उद्योग के संबंध में बहुत स्पष्ट और सीधे आंकड़े दिये हैं । मैं उन को दोहराना नहीं चाहता । उन आंकडों में थोड़ा सा फर्क है इधर उधर, लेकिन मुख्य बात यह है कि जो मुख्य प्रश्न हैं वह हमारे सामने हैं और मैं उन का ही जवाब देने का प्रयास करूंगा ।

प्रथम तो उन्होंने कहा है कि ए पी सी की कीमत और हमारी सरकार की कीमतों में फर्क है । मैं उन से कहना चाहता हूं कि अगर 1967 से ले कर आज तक के आंकड़े लें तो प्राय: सभी वर्षों में, कुछ वर्षों को छोड़ कर केवल 6 वर्षो को छोड़ कर, हम ने हर वर्ष में उन की सिफारिश को माना है । अभी अंतिम दो वर्ष का जो प्रश्न है, उन्होंने 13.50 रिकवरी पर निर्भर करते हुए कीमत तय की थी और दो रुपए उन्होंने अलग से रखे थे ट्रांसपोर्ट के लिये। सरकार ने 13 रुपये माने और 2 रुपये ट्रांसपोर्ट जो उन्होंने कहे, इस से उन की बचत निकल जाती है । इस लिये हम ने जो कीमत 8.5 प्रतिशत रिकवरी पर 13 रुपया रखी है यह स्टैचुअरी मिनिमम प्राइस है । (व्यवधान)

श्री उपसभापति : आप बीच में मत खड़े होइये ।

श्री भागवत झा आजाद : और यह हो सकता है कि मैं आप के मन के अनुरूप और ज्ञान के अनुरूप जवाब न दे पाऊं, लेकिन मैं अपनी योग्यतानुसार कोशिश करूंगा कि जो बातें सरकार को कहनी हैं वह कह दूं । यह संभव नहीं है कि आप मेरी सब बातों से सहमत हों और यह भी संभव नहीं है कि सरकार आप की सारी बातें मान ले, लेकिन जो मुझे कहना है उसे आप सुन लें । अब स्थिति यह है कि सरकार ने जो 8.5 प्रतिशत की रिकवरी पर जो कीमत दी है स्टैचुअरी प्राइस उस के आधार पर कीमतें होनी चाहिए 17.40 रुपये से 18.85 रुपये तक । लेकिन यहां पर उत्तर प्रदेश सरकार ने कीमतों को 20.50 और 21.50 रुपये रखा और बिहार की सरकार ने 20.50 रुपये रखा । इस पर आप का और हमारा मतभेद रहेगा । केन्द्रीय सरकार यह कहना चाहती है कि वह देश के शुगर व्यवसाय को देखते हुए, वह देश में उपभोक्ता की आवश्यकता को देखते हुए लेवी चीनी की कीमत उसने 3.75 रुपये रखी है सम्पूर्ण देश में, जिस पर वह सब्सीडी देती है और यह देखती है कि चीनी उद्योग चलता रहे । कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि चीनी मिलों को बड़ा नफा हो रहा है । पता नहीं उन का अर्थ शास्त्र क्या है । यह मैं नहीं जानता । हम लोग मिलों के पक्ष में नहीं हैं । हम सम्पूर्ण चीनी उद्योग को उपभोक्ता की दष्टि से, गन्ना उत्पादकों की दृष्टि से और जो इस उद्योग में अदायगी करने की क्षमता है उस दृष्टि से नापते और आंकते हैं और यह समझते हैं कि जो स्टैचुयरी मिनिमम प्राइस हम ने रखी है 13 रुपये की वह उपयुक्त है। सच तो यह है कि आज संपूर्ण देश में जितना गन्ना उत्पादित होता है उस का 33 प्रतिशत ही हमारी मिलों में जाता है । बाकी बड़ा प्रतिशत खंडसारी और गुड़ में चला जाता है जिस की कीमत तय करना राज्य सरकारों के अधिकार में है। वह करती नहीं है । सिर्फ आंध्र

[श्री भागवत झा आजाद]

प्रदेश की सरकार ने किया है और किसी ने नहीं किया है और वह आज भी 33 प्रतिशत मिलों को जाता है और बाकी जो है वह खंडसारी या गुड़ में जाता है और उसमें उन को लाभ हो रहा है। हम यह कहना चाहते हैं कि आप ने प्रश्न पूछा है कि आप ने दो तरह की कीमतें क्यों रखी हैं, तो मैं कहना चाहता हूं कि ए पी सी ने जो सिफारिश की है और जो फर्क है उस के बारे में सरकार के पास और भी विशेषज्ञ हैं और तमाम विशेषज्ञों की बात सुनकर उन्होंने इस कीमत को रखा। इसीलिये उत्तर प्रदेश की पांच मिलों में जो केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत हैं, उनमें केन्द्र द्वारा जो निश्चित गन्ना मूल्य है 17.40 रू० से 18.85 रू० यही हम दे सकते हैं और यही दे रहे हैं। राज्य सरकारें उन कीमतों को अधिक कर दें, इस बात के स्पष्ट प्रमाण हैं कि इसके लिये यह आवश्यक है कि राज्य सरकारें इस बात को सोचें कि सबों से बात करके जब एक प्राइस निश्चित की जाती है तो उस पर अमल किया जाये। उदाहरणार्थ महाराष्ट्र और तमिलनाडु की सरकारें गन्ने की कीमत को प्राविजनल एडवांस के रूप में देती हैं इस शर्त पर कि जब गन्ने की पिराई समाप्त हो जायेगी तब भार्गव फार्मूले के अनुसार 50-50 प्रतिशत के आधार पर उनकी अदायगी की जायेगी। इन दो राज्यों में भुगतान का प्रश्न नहीं है। यह प्रश्न आपने ठीक कहा कि उत्तर प्रदेश और बिहार का अधिक है। प्रतिशत भी आपने जो कहा वह ठीक है जब कि ऐवरेज हिन्दुस्तान का 28 है। बिहार में 24.76 करोड़ है, इसका प्रतिशत 76.1 है, उत्तर प्रदेश में यह 42.3 प्रतिशत है। प्रश्न यह है कि जो अदायगी करने के लिये आप मुझे कहते हैं, मैंने भी अपनी तरफ से बार-बार पत्र लिखा है। आप कहते हैं कि संविधान के अन्तर्गत यह है और आप उसका आधार मत लीजिये। तो मैं क्या करूं। संविधान के अन्तर्गत जो राज्य सरकारों को अधिकार प्राप्त हैं उनको छोड़कर कुछ करूं? तो मैं केन्द्र सरकार की तरफ से बराबर कोशिश करता हूं राज्य सरकारों पर दबाव डालकर कि उनको पेमेंट किया जाये। यह राज्य सरकारों और मिलों की सहमति से होता है। इसलिये कि मिलों को भी कीमत देनी है और सरकार किसानों को भी सही कीमत देना चाहती है। इसलिये स्टेट ऐडवाइज्ड प्राइस तय होती है। हम यह भी मानते हैं कि चौदह दिन के बाद गन्ने की कीमत न मिले तो उसका सूद देना चाहिये। हम यह कहते हैं, कहते रहते हैं कि उनको पहले प्रिंसिपल दीजिये और फिर सूद दीजिये। उनकी कठिनाइयों को मैं कम नहीं आंकना चाहता हूं, वह कठिनाई है और अच्छा हुआ कि आपने इस सदन में भी और उस सदन में भी ध्यानाकर्षण किया संघ सरकार और राज्य सरकारों का।

आपने ऐक्साइज ड्यूटी के बारे में कहा। इस सम्बन्ध में मैं अधिकारपूर्वक नहीं कह सकता हूं। लेकिन अधिकार-पूर्वक आपकी राय को उनके सामने रख सकता हूं कि कोई न कोई रास्ता निकलना चाहिये।

SHRI A. G. KULKARNI: How are you going to find the way for it? You are only going to inform them. Yours is the parent Ministry. You will inform Mr. Pranab Mukherjee. What is the use?

श्री भागवत झा आजाद: पैरेन्ट मिनिस्ट्री का इतना ही काम है। पैरेन्ट का काम यह है कि अधिकार जो प्रदत्त है संविधान के अन्तर्गत उसके अनुसार कार्य करें। मैं उसका दोषी बनना नहीं चाहता कि संवैधानिक अधिकार की अव

हेलना कर रहा हूं। आप कहे तो क्या मैं डंडा लेकर स्टेट में जाऊं ? मैं उनको लिखूगा, आग्रह करूंगा, दबाव डालूंगा। उसी प्रकार से मैं बराबर यह बात कहूंगा जो मुझे कहनी है क्योंकि आखिर कहीं तो समस्या का समाधान करना चाहिये। तो सिवाय इसके मैं क्या कर सकता हूं। ऐक्साइज ड्यूटी के बारे में इसके पहले भी बात हुई थी, बजट में वित्त मंत्री ने ऐक्साइज ड्यूटी में रिलीफ दिया है। परचेज टैक्स राज्य सरकारों ने इनफारमल मीटिंग में सहमति की थी कि नहीं लेंगे। इस रास्ते से कुछ न कुछ कम होंगी। आपने जो सुझाव दिया है वह हम करेंगे। इसलिये इतनी बात मैं जरूर कहूंगा कि इसमे कोई शक नहीं है।

मैं दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्यों ने जो प्रश्न किया कि सेन्ट्रल मिले सबसे ज्यादा दोषी है और सबसे अधिक इन्हीं के यहां बकाया है यह बिल्कुल गलत है। मैंने बताया कि 42.3 परसेंट उत्तर प्रदेश का है, 73 परसेंट बिहार का और केन्द्रीय सरकार का 10 परसेंट। जो लिमिटेशन में है उसी के अन्तर्गत यह है। आपने पांच मिलों की बात कही। अयोध्या मिल के बारे में मैंने बताया कि हमने उसको पूरी पेमैंट दे दी है। बाकी एक मिल बवनन है। इसको 60 लाख देना है और 44 लाख दे दिया। यही एक मिल है जिसको अभी कुछ देना है। बाकी तीन मिले जो है लक्सर, वेतरलपुर और देवरिया ये मिल किसी भी वक्त पूरी राशि देने को तैयार हैं। लेकिन वहां के किसान यह कहते हैं कि हम यह कीमत नही लेंगे। हमें राज्य सरकार की एडवाइज की कीमत दीजिये। इसलिये हमने कहा कि केन्द्रीय सरकार के निर्णय के अनुसार हम देने को तैयार है। जो यह कहा गया कि हम सबसे अधिक दोषी है यह बात गलत है। एक ने दे दिया है और दूसरे के पास बहुत कम बकाया है। एक हमने बताया कि एक मिल बवनन जो है इसके पास 30 परसेंट बकाया है। तीनों मिलें किसी भी वक्त देने को तैयार हैं। हमने उनको कहा है कि हम इससे अधिक नही दे सकते। उत्तर प्रदेश और बिहार के शुगर इंडस्ट्रीज की जो आर्थिक स्थिति बिगड़ी हुई है इससे इस बात का संकेत मिलता है कि अगर आपने कहीं दबाव में कीमत ज्यादा करवा दी जितना वह उद्योग वहन कर सकें तो आपको इस कठिनाई को वहन करना पड़ेगा। महाराष्ट्र और तमिलनाडु ने जो किया है उसकी ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

SHRI A. G. KULKARNI: What happened to those Committees and the demand for a price rise?

श्री भागवत झा आजाद : मैंने बताया कि कमेटियां अलग-अलग बनती हैं...

श्री राम नरेश कुशवाहा : उत्तर प्रदेश की 86 मिलें दे सकती हैं...

श्री उपसभापति : दे रहा है ?

श्री भागवत झा आजाद : यही तो रोना है नहीं दे रहे हैं।

श्री राम नरेश कुशवाहा : रोना नहीं है। आपको देना चाहिये। जब सब दे रहे हैं। एग्रीड दाम जब सब दे रही हैं तो आपको भी देना चाहिये।

श्री उपसभापति : इसका जवाब हो गया। आप बैठ जाइये।

श्री भागवत झा आजाद : कमेटियां बहुत बनती हैं मंत्रालयों के अन्तर्गत। जो कमेटियां किसी नियम के अन्तर्गत बनती हैं, उन कमेटियों की रिपोर्ट के बारे में हम बता सकते हैं लेकिन किसी मंत्रालय ने अपने प्रशासनिक या विशेषज्ञों की राय के लिये कमेटी बनाई और उसकी कोई रिपोर्ट है, तो उसके बारे में कुछ कहना मेरे लिये संभव नहीं है। रिजर्व बैंक ने कोई कमेटी बनाई और आप कह दें कि उसकी रिपोर्ट दे दूं तो यह मेरे लिये बताना संभव नहीं है।

SHRI HAREKRUSHNA MALLICK (Orissa): Why cannot you have a uniform price policy?

SHRI A. G. KULKARNI: What about buffer stock?

श्री भागवत झा आजाद : आप सुनिये। हर बार क्यों उठ जाते हैं। एक भी प्रश्न मैं नहीं छोड़ूंगा। मैंने एक-एक करके सब प्रश्न नोट कर लिये हैं इसलिये एक भी नहीं छोड़ूंगा। बफर स्टाक के संबंध में हमारी जो नीति है उस बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि हमने पांच लाख टन रखने का बफर स्टाक बनाया है। उसके लिये 100 परसेंट क्रैडिट उसको देंगे। प्रोरेटा बेसिस पर हर मिल को मिलेगा। उसका इन्टरेस्ट भी देंगे। अगर आप यह समझते हो कि सारा कैरी-ओवर बफर हो जाए, तो सारी अर्थव्यवस्था साफ हो जायेगी।

श्री ग्रंगद राम कुलकर्णी : बहुत अच्छा किया आपने।

श्री भागवत झा आजाद : उस पर हम 100 परसेंट क्रेडिट देंगे जमा करने के लिये और सूद भी देंगे। यह आपके प्रश्न का उत्तर है। यह अच्छी बात है कि एक बात के ऊपर आप प्रसन्न हुये। सहमत हुये।

SHRI A. G. KULKARNI: A 25 paise price rise has been demanded by the National Federation per kilogram of sugar.

श्री भागवत झा आजाद : यह तो हर तरफ से मांग है कि गन्ने के उत्पादक को अधिक चाहिये। मिल के अधिकारी को भी अधिक चाहिये। तो हमको तो कहीं न कहीं संधि स्थल पर पहुंचना ही होगा। जिस संधि स्थल पर उद्योग भी जिन्दा रह सकें, कंज्यूमर को भी अधिक दाम न देने पड़ें, उस पर हमें पहुंचना होगा। अभी हम जो चीनी दे रहे हैं वह लेवी शुगर है और वह सबसिडाइज्ड प्राइस पर है। एक्चुअल प्रोडक्शन जो होती है उस पर खर्च अधिक होता है। 65 परसेंट हम मिलों से लेते हैं और उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। 35 परसेन्ट की जो कीमत फिक्स की जाती है वह भी सब नियम से की जाती है। आपने कहा कि जो चीनी रिलीज की जाती है वह इररेशनल है। मैं यह कहना चाहता हूं कि ऐसी बात नहीं है। हम बाजार में जो फ्री शुगर रिलीज करते हैं वह इस अन्दाज की जाती है कि फेस्टिवल सीजन है तो जरूर ज्यादा चीनी रिलीज की जाती है। नान-फेस्टिवल सीजन में कम करते हैं। हम यह चाहते हैं कि 35 परसेन्ट जो फ्री सेल शुगर है उसमें इतनी कीमत मिले कि 65 परसेन्ट पर हम जो कमी किये हुये हैं उसका मैक-अप हो जाए। लेकिन यह हो नहीं पाता है। अभी बाजार में फ्री शुगर की कीमत को लें तो पता चलेगा कि फ्री शुगर लगभग 5 रू० से ऊपर नहीं जाती है। आज भी वह 4.25 और 4.60 या 4.65 रू० के बीच में रहती है। फेस्टिवल सीजन और नान-फेस्टिवल सीजन को देख कर चीनी रिलीज की जाती है। मैं यह कहना चाहूंगा कि आपका यह पहला प्रश्न कि अदायगी की जानी

चाहिये, हम उससे मुकर नहीं रहे हैं। यह अदायगी करनी है और दी जानी चाहिये। इस सम्बन्ध में माननीय सदस्यों ने कहा कि वित्त मंत्री से कहा जाना चाहिये, मैं यह कहना चाहूंगा कि वित्त मंत्री भी इस संबंध में जागरूक हैं। सदस्यों ने प्रधान मंत्री जी से मिलने के लिये समय मांगा है। वह भी ठीक है। हर तरह से सरकार प्रयास करती है और उनके ऊपर दबाव डालती है। मैं यह भी बता दूं कि तीन चार महीनों में जब लार्ज स्केल पर क्रशिंग होती है तो इस समय बकाया भी बढ़ जाती है। उसके बाद कमी होने लगती है। उसी के अनुसार अन्त में पिछले वर्ष वह 4.2 प्रतिशत रह गया है। जैसे-जैसे सीजन कम होता जाता है या आउट हो जाता है तो वह कम हो जाता है। हमारा विश्वास है कि वह कम होता जाएगा। इस बात की पूरी संभावना है।

दूसरी बात आपने उत्तर प्रदेश और बिहार की बात कही है और उन राज्यों को सहायता दिलाने की तरफ ध्यान आकर्षित किया है। इस संबंध में आप भी जोर लगाइये, मैं भी जोर लगाता हूं। उसके बाद आपने गन्ने के पिराने की बात कही। जहां तक गन्ना पिराने का सवाल है, पिछले साल गन्ना काफी देर तक पिरोया गया और इसके कारण इस बार कहीं-कहीं पर 15 दिन या एक महीने की देर हुई। पिराने के बाद मिलों को पूरे दो महीने मेंनटेनेंस के लिये खर्च करने पड़ते हैं। हम यह जरूर चाहेंगे कि बोण्डेड शुगर अगर पिराने के लिये बच जाय तो सीजन के बाद भी उसको पिरोया जाय। इस बार हम उनसे कहेंगे कि देर तक पिराई की जाय और सब खत्म किया जाय। मैं समझता हूं कि इस प्रकार से जो मुख्य प्रश्न उठाये गये थे उनका उत्तर मैंने दे दिया है।

SHRI DIPEN GHOSH: Sir, what about the dual pricing system? He has not said anything about it.

श्री राम नरेश कुशवाहा : आपने पिछले साल का बकाया बताया है। इस साल कितना बकाया है, यह नहीं बताया है। उत्तर प्रदेश के संबंध में भी आपने कुछ नहीं बताया है।

श्री उपसभापति : उन्होंने सारे प्रश्नों का जबाब दे दिया है। उन्होंने कहा है कि हम दबाव डालेंगे।

श्री राम नरेश कुशवाहा : मंत्री जी यहां पर बैठे हुये हैं, वे इस साल कितना बकाया है, उसका जबाब दें... (**व्यवधान**)। अगर वे जबाब नहीं देते हैं तो मैं चला जाता हूं। अगर वे जबाब नहीं दे सकते हैं तो हम यहां पर बेकार ही बैठे हैं।

(**इसके बाद माननीय सदस्य सदन से चले गये**)

REFERENCE TO THE REPORTED BAD QUALITY OF WHEAT AND SUGAR BEING SUPPLIED BY THE F.C.I. GODOWN AT DARBHANGA

श्री हुक्म देव नारायण यादव (बिहार) : उपसभापति महोदय, मैं बहुत ही संक्षेप में कह रहा हूं कि बिहार में जो अकाल पड़ा हुआ है उसको देखते हुये राज्य सरकार की जितनी मांग है केन्द्रीय सरकार से उतना नहीं मिल रहा है और केन्द्रीय सरकार के एफ०सी०आई० के गोदाम से जो गल्ला मिलता है, जो गेहूं है वह खाने के लायक बिलकुल है ही नहीं। मैं जब अपने घर पर गया तो, हमारे गांव में जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकान से गेहूं दिया जा रहा है, जो चीनी दी जाती है, उस गेहूं और चीनी को मैं कहां दिखाऊं, कैसे दिखाऊं, वहां लाऊंगा तो आप कहेंगे कि यहां रखिये मत, मैं इसको दिखाऊं कैसे। इसमें देखिये पत्थर और शीशे के टुकड़े इस गेहूं में मिले हुये हैं। यह गेहूं बिलकुल